इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2021—पौष 18, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1)	मध्यप्रदेश विधेयक,	(2)	प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1)	अध्यादेश,	(2)	मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1)	प्रारूप नियम,	(2)	अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्र.-एफ-03-71-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) भाग 4 (ग), दिनांक 13 नवम्बर 2020 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा समयक् रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इँजीनियर को, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर, भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञा, ऐसे कॉलोनाईजर जो भू-खण्ड/भवन विक्रय का आशय रखते हो, को, जारी नहीं की जा सकती.

परन्तु यह और कि, सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को नहीं देगा, जो नियम 26-क एवं 26-ख के उपबंधित मापदण्डों का पालन नहीं करते हों तथा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव न हो.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्र.-एफ-03-71-2020-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-03-71-2020-अठारह-5, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th December 2020

No. F.-03-71-2020-XVIII-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) Part-4 dated 13th November 2020 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(3) Architect/ Structural Enginner duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter after getting approval of the Director, town and country planning:

Provided that such permission cannot be issued to the colonisers who intend to sale the plot/ building.

Provided futher that competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/ Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and do not possess minimum 10 years experience.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.